न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
016/2012(रा.अ.) (GCMS 2012/00008)	24.08.2012	01.07.2025

अनवान

जे.के. सीमेंट प्रोपराईटर जे.के. सीमेंट कानपुर द्वारा वरिष्ठ महाप्रबंधक (पी एण्ड एल) एस.के. गुप्ता, पावर ऑफ अर्टोनी होल्डर जे.के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अपीलार्थी

बनाम

1 भैरूलाल पिता कनीराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2 मु0 कलाबाई पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3 श्रीमती दाखीबाई पत्नी ऊंकारलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4 मु0 मुन्नीबाई पत्नी भैरूलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5 मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
6 गीताबाई पिता मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7 धापुबाई पिता मांगीलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
8 ऊंकारलाल पिता किशनलाल जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
9 देवीलाल पिता प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
10 शांतिबाई पिता प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
11 पपलीबाई पिता प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
12 लीलाबाई पिता प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
13 गंगाबाई पिता प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
14 कस्तुरीबाई बेवा प्यारा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी मांगरोल तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
15 श्रीमती वालीबाई पुत्री किशना (पत्नी मांगीलाल) जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नपावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–	नरेश शर्मा	अपीलार्थी
	छोगालाल जाट	प्रत्यर्थी संख्या 1,4,15
	भारत भूषण प्रधान (वक्त बहस अनुपस्थित)	प्रत्यर्थी संख्या 13
	राजू गिरी गोस्वामी (वक्त बहस अनुपस्थित)	प्रत्यर्थी संख्या 3, 8
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रत्यर्थी संख्या 16
	एक तरफा	प्रत्यर्थी संख्या 2,5,6,7,9,10,11,12,14

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार निम्बाहडा बाबत् नामान्तरकरण कार्यवाही आदेश दिनांक 14.08.2012 प्रकरण संख्या 047/2012

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.2012 से व्यथित होकर अन्दर मियाद विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की मूल अभिलेख पत्रावली तलब किया गया। दिनांक 11.09.2012 को प्रत्यर्थी संख्या 1, 4, 15 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। 11.09.2012 को प्रत्यर्थी संख्या 3, 8 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 27.05.2014 को विपक्षी संख्या 13 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रत्यर्थी संख्या 16 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/भू0अ0/2012 /1044 दिनांक 03.09.2012 से उनकी मूल पत्रावली प्राप्त हुई है, जो कि पत्रावली के हम किता होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 12.02.2013 को प्रत्यर्थी संख्या 3, 8 की और से जवाब पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में दिनांक 23.03.2015 को प्रत्यर्थी संख्या 1, 4, 15 का जवाब बंद किया गया। प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 03.03.2020 से खातेदार किशना पिता पेमा की मृत्यु के पश्चात् आराजीयात जैरबहस के संबंध में कब–कब नामान्तरकरण खोले जाने के संबंध में तहसीलदार निम्बाहेडा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। इस पर तहसीलदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/1209 दिनांक 30.11.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अपीलार्थी की और से दिनांक 16.10.2024 से लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में मौखिक बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि हस्तगत अपील अपीलार्थी न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 14.08.2012 प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने उपस्थित होकर क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसका हवाला अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में भी है, किन्तु न्यायालय के निर्णय के अनवान में पक्षकारों का सही हवाला नहीं है, जबकि इस प्रकरण में सभी पक्षकारों के साथ यह अपील अपीलार्थी प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं आराजीयात में प्रार्थी कंपनी का हक अधिकार है और विवादित आदेश से अपीलार्थी के हकों पर विपरित प्रभाव होकर प्रार्थी कंपनी प्रभावित पक्षकार है, जिससे प्रार्थी कंपनी को धारा 96 जा0दी0 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान कराये जावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने प्रार्थना–पत्र धारा 96 जा0दी0 में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर एवं प्रार्थना–पत्र का पुरजोर विरोध कर बताया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण मृतक खातेदार की विरासत के आधार पर निर्णित हुआ है जो पूर्णतया वैद्य है, जिसे चुनौती देने का अपीलार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार बनाए जाने जाने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि नामान्तरकरण मृतक खातेदार विरासत के आधार पर न्यायालय निर्णय की अनुपालना में किया गया है। इस प्रकरण में अपीलार्थी का कोई हक प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं है और न ही वह इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार ही है और अपीलार्थी को इस प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का कोई आधार नहीं है।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। प्रार्थना–पत्र धारा 96 जा0दी0 के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों से स्थापित किया गया है कि प्रकरण को तकनीकी आधारों पर निर्णित किये जाने के स्थान गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता है, अतः धारा 96 जा0दी0 प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिजर्व करते हुये पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु रखा गया।

अपील अपीलार्थी द्वारा अन्दर मियाद पेश हुई है। अतः बहस पत्रावली सुनी गई। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रत्यर्थी भैरूलाल पिता कन्नीराम, श्रीमती कला पत्नी मोहनलाल,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दाखी बाई पत्नी ऊंकार लाल, मुन्नी बाई पत्नी भैरूलाल की ओर से प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 013/2010 निर्णय दिनांक 26.12.2011 जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा के निर्णय नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 को निरस्त करते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा को प्रतिप्रेषित कर आदेश दिये गये कि मृतक किशनलाल के वारिसान की पूर्ण जांच कर सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरकरण निर्णित किया जावे। इस आदेश की अनुपालना मे रेस्पोंडेंट भैरूलाल, श्रीमती कला, दाखीबाई व मुन्नीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे कि प्रकरण संख्या 047/2012 पर दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2012 को विधि विपरित रूप से ग्राम मांगरोल के आराजी संख्या 197, 200, 203, 206, 497मी., 499 एवं 1532 कुल 7 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा व आहताचा संख्या 207 रकबा 0.07 बिस्वा में दर्ज 5/21 हिस्सा खातेदार किशनलाल पिता प्रेमा कुम्हार की मृत्यु हो जाने से उनके विधिक वारिसान विरासत अनुसार मोहनलाल, गीताबाई, धापूबाई पिता मांगीलाल 1/4 ऊंकारलाल पिता किशनलाल 1/4, देवीलाल, शांतिबाई, पपलीबाई, लीलाबाई, गंगाबाई पिता प्यारा मुस्मात कस्तुरीबाई, देवा पिता प्यारा 1/4 श्रीमती वालीबाई 1/4 कुम्हार के नाम दर्ज किया जाने का आदेश पारित फरमाया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त लंबित नामान्तरकरण कार्यवाही मे अपीलार्थी जे.के. सीमेंट द्वारा अपना विस्तृत तथ्यात्मक प्रतिवेदन अपने कथनों के साथ अपीलार्थी विवादग्रस्त भूमि आराजी नंबर 197, 200, 1532 का खातेदार होकर इस भूमि के संबंध में प्रभावित पक्ष था प्रस्तुत किया गया परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कथनो के संदर्भ मे किसी भी प्रकार का कोई न्याय निर्णयन नही कर अपीलार्थी की औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में उपरोक्त निर्णय दिनांक 14.08.2012 पारित फरमा दिया गया उक्त प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के वैधानिक हितों के विपरित होकर प्रचलित विधि के प्रावधानों अनुसार काबिल अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 4 व 15 ने अपनी बहस में अपील मेमों एवं लिखित बहस अपीलार्थी में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 15 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष अपील नामान्तरकरण संख्या 340 प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 018/2008 दर्ज होकर निर्णित हा तहसीलदार निम्बाहेडा को रिमाण्ड किया गया था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 05.02.2009 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.02.2009 निर्णित किया गया। जिससे असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष अपील नामान्तरकरण संख्या 2590 प्रस्तुत की गई जिसके प्रकरण संख्या 013/2010 दर्ज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होकर दिनांक 26.12.2011 को निर्णित हो तहसीलदार निम्बाहेडा को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय निर्णय की पालना में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाकर सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2012 पारित किया गया जो कि विधि अनुसार पारित किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा समुचित साक्ष्य एवं सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा की मूल अभिलेख पत्रावली का अवलोकन कराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उक्त न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय दिनांक 26.12.2011 की पालना में निर्णित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया गया।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि ग्राम मांगरोल की आराजी संख्या 197, 200, 203, 206, 497मी., 499 एवं 1532 किता 7 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी चाह संख्या 207 रकबा 7 बिस्वा जो कि मृतक किशना पिता पेमा कुम्हार की खातेदारी की कृषि भूमि रही होकर मृतक किशना पिता पेमा की मृत्यु उपरांत किशना के तीनों पुत्रों को जरिये नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 से जरिये विरासत 1/3 प्रत्येक के बराबर हक हिस्से अनुसार प्राप्त हुई एवं प्राप्त होने के उपरांत उक्त आराजी में से आराजी नम्बर 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 200 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा भूमि खातेदार मांगीलाल, प्यारा, ऊंकारलाल पिता किशना कुम्हार निवासी मांगरोल द्वारा राज्य सरकार के पक्ष मे स्वैच्छित रूप से समर्पित की गयी और समर्पण पत्र से उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई अपीलार्थी जे.के. सीमेंट वर्क्स द्वारा ग्राम मांगरोल में सीमेंट प्लांट स्थापित किये जाने हेतु राजस्थान सरकार से भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना की गयी एवं राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना का प्रकाशन करते हुए दिनांक 07.11.1985 को खातेदारान की उक्त भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की गयी और उद्योग स्थापना हेतु राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आंवटन नियम 1 ए व 2 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अधीन औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलार्थी जे.के. सीमेंट के पक्ष में समर्पित होना मान जिला कार्यालय के पत्र दिनांक 20.08.1986 जे.के. सीमेंट वर्क्स मांगरोल को 99 वर्ष की लीज पर दी गयी जिसका नामान्तरकरण दिनांक 02.10.2000 से स्वीकृत होकर यह भूमि जे.के. सीमेंट मांगरोल के नाम दर्ज चली आ रही है। इस प्रकार संबंधित खातेदारान द्वारा उक्त भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित किये जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस भूमि को बिलानाम घोषित कर अपने आवंटन नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्र घोषित करते हुए उद्योग स्थापित करने हेतु आवंटित किये जाने का तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के प्रावधानों अनुसार प्रकट रूप से प्रमाणित था एवं उक्त सभी वैधानिक प्रक्रिया जो कि एक विधि के स्थापित एवं प्रचलित अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अपनाई जाकर अपीलार्थी जो कि एक सद्भाविक आवंटी होकर विधि की प्रक्रिया के तहत इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए उक्त भूमि को लीज पर प्राप्त कर औद्योगिक इकाई स्थापित कर अपने उद्योग का संचालन कर रहा है के संबंध मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत विहित प्रक्रिया जो कि धारा 4 के तहत किसी भी भूमि की समुचित सरकार द्वारा लोक प्रयोजन के लिये या किसी कंपनी के लिये आवश्यकता होने पर भूमि को प्रयोजन विशेष हेतु अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु सशक्त करता है एवं ऐसे अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत धारा 5क के तहत ऐसी भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों को आक्षेपों की सुनवाई का अवसर प्रदत्त करता है एवं आक्षेपों की सुनवाई के उपरांत धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा पारित अधिनिर्णय पारित किये जाने के उपरांत धारा 18क ऐसे हितबद्ध व्यक्ति को न्यायालय को रेफरेंस करने का अधिकार प्रदत्त करता है उपरोक्त संपूर्ण विहित प्रक्रिया का हस्तगत प्रकरण में श्रीमती वालीबाई द्वारा किसी भी प्रकार की चाराजोही नहीं कर इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 015/2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के आदेश दिनांक 05.02.2009 जिसके तहत उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए पत्रावली योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा को वारिसान की कर उन्हें सुनकर नया नामान्तरकरण खोलने का आदेश पारित फरमाया गया व आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 स्वीकृत किया जाकर उपरोक्त दोनों ही नामान्तरकरण आदेश की विधि विपरित रूप से विवेचना करते हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि आराजी नंबर 197 व 200 के संबंध में जो आदेश पारित फरमाया गया है वह पूर्णतया विधि विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज संख्या 5 पर अपीलार्थी जे.के. सीमेंट की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष नामान्तरकरण संख्या 2590 निर्णय दिनांक 17.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 014/2010 निर्णय दिनांक 26.03.2012 का हवाला देते हुए इसी नामान्तरकरण के संबंध मे रेस्पोंडेंट भैरूलाल मुस्मात कलाबाई, दाखीबाई व मुन्नीबाई द्वारा भी अपील संख्या 013/2010 निर्णय दिनांक 26.12.2011 पारित किया जाना बताते हुए अपीलार्थी की ओर से अपना क्लेम बिन्दु वाद प्रस्तुत किये जाने का तथ्य अपने निर्णय में वर्णित किया गया है एवं अपने निर्णय के पेज संख्या 8 पर उपरोक्त निर्णयों की रोशनी में यह मत व्यक्त किया गया है कि जो भूमि अपीलार्थी को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी उसके संबंध में माननीय उपखण्ड न्यायालय द्वारा इस बिन्दु की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक जांच की जाना न्याय संगत था एंव इस न्यायालय के समक्ष उक्त बिन्दु निर्णय का विषय नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विवादित नामान्तरकरण संख्या 340 निर्णय दिनांक 14.06.1969 व उसके अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2590 निर्णय दिनांक 17.12.2009 से प्रकरण संख्या 013/2010 अपील भैरूलाल वगैराह बनाम वालीबाई निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा दिनांक 26.12.2011 व प्रकरण संख्या 014/2010 अपील जे.के. सीमेंट बनाम वालीबाई वगैरा निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा दिनांक 26.03.2012 व प्रकरण संख्या 015/2008 अपील मुस्मात वालीबाई बनाम मांगीलाल वगैरा निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा दिनांक 05.02.2009 में विवादित भूमि के विरासत नामान्तरकरण की वैधता को परिक्षित किया गया उसमें अंर्तवलित आराजी संख्या 197, 200, 203, 206, 497मी., 499 एवं 1532 कुल किता 7 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा एवं चाह संख्या 207 रकबा 7 बिस्वा में से आराजी संख्या 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की किस्म व प्रयोजन कृषि योग्य नहीं रहकर संबंधित खातेदारान द्वारा राज्य सरकार को समर्पित किये जाने से वर्ष 1986 से ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज हो चुकी थी, परन्तु इस महत्वपूर्ण तथ्य को कि ''हस्तगत विवादित आराजी संख्या 197 व 200 औद्योगिक प्रयोजनार्थ अपीलार्थी के नाम भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत अधिसूचित भूमि होकर अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा उद्योग स्थापना हेतु राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आंवटन नियम 1959 के तहत आवंटित की गयी है उपरोक्त विधिक प्रक्रियाओं में पारित आदेशों को जब तक प्रभावित व्यक्ति द्वारा उक्त विशिष्ट अधिनियमों के तहत आक्षेपित करके उक्त भूमि को पुनः कृषि प्रयोजनार्थ दर्ज नहीं करवा लिया जाता है तब तक अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि मानते हुए उसके विरासत के संबंध मे न्याय निर्णयन का कोई अधिकार विधितः नहीं था।'' इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इस महत्वपूर्ण अवैधानिकता से ग्रसित होकर काबिल निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही में अपीलार्थी जे.के. सीमेंट वर्क्स की विवादित भूमि में से आराजी संख्या 1532 जो कि अपीलार्थी द्वारा मृतक किशनलाल के पुत्र ऊंकारलाल द्वारा अपने निहित हिस्से में से दिनांक 21.05.1996 व दिनांक 26.04.1996 को एवं खातेदार रूपचन्द पिता बगदीराम द्वारा दिनांक 26.04.1996 को विक्रय किये जाने से कुलिया 1 बीघा भूमि अपीलार्थी जे.के. सीमेंट वर्क्स द्वारा क्रय की गयी एवं क्रय करने के उपरांत जरिये नामान्तरकरण संख्या 2073 स्वीकृत करा कर अपीलार्थी द्वारा इस भूमि की खातेदारी प्राप्त की गयी एवं तदुपरांत उक्त नामान्तरकरण कार्यवाहियो के फिस्कल प्रकृति के विवाद उत्पन्न होने पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर निम्बाहेडा के समक्ष आराजी संख्या 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा व आराजी संख्या 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आराजी संख्या 1532 में निहित अपने स्वामित्व की घोषणा हेतु अंतर्गत धारा 88 व 188 के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहत वादपत्र प्रस्तुत कर आराजी नम्बर 1532 में निहित 020/177 वें हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा व आराजी नंबर 197 व 200 की भूमि जो कि अपीलार्थी के नाम औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित होकर दर्ज अभिलेख है को बदस्तुर रखे जाने की घोषणा की डिक्री प्रकरण संख्या 196/2015 निर्णय दिनांक 01.08.2024 से प्राप्त की जा चुकी है, इसीलिये चूंकि विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी के हक व अधिकारों का अंतिम न्याय निर्णयन अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा वाद निर्णय व डिक्री पारित करते हुए अंतिम रूप से किया जा चुका है, इसलिये उपरोक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आराजी संख्या 197, 200 व आराजी संख्या 1532 के 20/177 वें अपीलार्थी के हक हिस्से के संबंध में पूर्णतया अपास्त फरमाये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपने न्याय निर्णयन में सुनवाई का कोई अवसर प्रदत्त नहीं किया है अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कथनों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे अभिलिखित अवश्य रूप से किया गया है परन्तु उन उक्त कथनों के संदर्भ में अपना कोई विनिश्चय पारित नहीं किया गया है जो कि पूर्णता विधि विपरित है इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त फरमाये जाने योग्य है, अंत में प्रार्थना की गई कि लिखित बहस में उल्लिखित बिन्दुओं के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनांक 14.08.2012 प्रकरण संख्या 047/2012 अपास्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख का पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन/परिशीलन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया।

हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ‘‘**अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.20112 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा ?**’’

हस्तगत प्रकरण में मुख्य तथ्य यह है कि मृतक किशना पिता पेमा कुम्हार की मृत्यु उपरांत निर्णित विरासतन नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 के संबंध में मृतक किशना की पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 15 श्रीमती वालीबाई पुत्री किशना (पत्नी मांगीलाल) जाति कुम्हार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 015/2008 होकर निर्णय दिनांक 05.02.2009 से निर्णित किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा मौजा मांगरोल के नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 को निरस्त कर वारिसान की पूर्ण जांच कर उन्हे सुना जाकर नया नामान्तरकरण खोलने के संबंध में निर्देश दिये गयें, जिस पर तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 निर्णित किया गया। इस पर हस्तगत प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 से व्यथित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसके प्रकरण संख्या 013/2010 निर्णय दिनांक 26.12.2011 है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा उक्त प्रकरण निर्णय दिनांक 26.12.2011 से नामान्तरकरण संख्या 2590 निर्णय दिनांक 17.12.2009 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार निम्बाहेडा को प्रतिप्रेषित किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देश दिये गये कि मृतक किशनलाल (किशना) के वारिसान की पूर्ण जांच कर, सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई का उचित अवसर देते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर नामान्तरकरण निर्णित किया जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के निर्णय के अनुसरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 047/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 013/2010 अपील निर्णय दिनांक 26.12.2011 के अनुसरण में दायर की जाकर हस्तगत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2012 पारित किया गया।

मृतक किशना के फौत हो जाने से आराजीयात जैरबहस कुल किता 7 कुल रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 14.06.1969 से किशना के पुत्र मांगीलाल, प्यारा एवं उंकार पिता किशना के नाम पर दर्ज अभिलिखित हुई। तत्पश्चात् उक्त आराजीयात में से आराजी संख्या 197 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा एवं आराजी संख्या 200 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदारान द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में स्वैच्छित रूप से समर्पित की गई और समर्पण–पत्र से उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज हुई। तत्पश्चात् जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12–3(19)ए85/1018–22 दिनांक 21.081986 से आराजी संख्या 197 व 200 कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा जे.के. सीमेंट को 99 वर्ष की लीज पर दी गई। जिसका नामानतरकरण संख्या 1659 दिनांक 02.10.2000 को निर्णित हुआ। आराजी संख्या 1532 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा में अपने निहित 1/3, 1/3 हिस्सा मांगीलाल, प्यारचन्द ने मिलकर भैरूलाल पिता कनीराम कुम्हार और प्यारचन्द पिता बगदीराम कुम्हार को संयुक्त रूप से दिनांक 05.01.1989 को विक्रय किया। तत्पश्चात् आराजी संख्या 1532 में से मृतक किशन के पुत्र उंकारलाल ने अपने निहित हिस्से में से 6 बिस्वा भूमि दिनांक 25.05.1996 को तथा 1 बिस्वा भूमि 26.04.1996 को एवं रूपचंद पिता बगदीराम कुम्हार ने दिनांक 26.04.1996 को 13 बिस्वा यानि कुल 1 बीघा भूमि जे.के. सीमेंट को विक्रय की गई। इस प्रकार अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 015/2008 निर्णय दिनांक 05.02.2009 के अनुसरण में दायर किये गये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 2590 में तत्कालीन खातेदारान के रूप में अपीलार्थी एवं भैरूलाल पिता कनीराम कुम्हार, प्यारचन्द पिता बगदीराम कुम्हार, मांगीलाल पिता किशना, कलाबाई पत्नी मोहनलाल कस्तूरी बेवा प्यारा, उंकारलाल पिता किशना एवं अन्य खातेदार के रूप में अभिलिखित रहे है।

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121(4) के एवं नामान्तरकरण के कार्यक्षेत्र की सीमा के लिये नियम 131 की प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों में प्रावधित किया गया है :–

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area**.**

131. The scope of Mutations.-

(i) The status of an estate-holder or a tenant cannot be altered except:—
  (a) by agreement of all the parties interested: or
  (b) in consequence of a decree or order which is binding upon them, or
  (c) in accordance with facts proved or admitted to have occurred under the relevant provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956.

(ii) In cases of inheritance a summary inquiry into the title is necessary. Where it is claimed that property devolves by reason of will, this should be treated as a case of succession by inheritance and the inquiry will include an enquiry into the validity of the will.

नामान्तरकरण की कार्यक्षेत्र की सीमा के तहत नियम 131(ख) के तहत डिक्री या आदेश के परिणामस्वरूप नामान्तरकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित है। इस प्रकार के नामान्तरकरण में नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियमों के नियम 133 के अन्तर्गत सह–दायित्व का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इस संबंध अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा वक्त निर्णय नामान्तरकरण संख्या 2590 के संबंध में नामान्तरकरण से प्रभावित पक्षकारान को पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण में मुख्य विधिक तथ्य यह है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के तहत अवाप्त की गई भूमि जिसे राज्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार द्वारा समुचित लोक प्रयोजन के लिये या किसी कंपनी के लिये विशेष प्रयोजन हेतु अधिसूचित किया जा चुका हो ऐसी भूमि के संबंध में स्वामित्व के विवाद निस्तारण हेतु सक्षम अधिकारिता प्राप्त है या नहीं। इस संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 के तहत प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों में प्रावधित किया गया है :–

135. Procedure on report – (1) The Tehsildar, on receiving such report or upon the fact coming otherwise to his knowledge, shall make such inquiry as appears necessary and in undisputed cases, if the succession or transfer or other acquisition appears to have taken place, shall record the same in the annual registers.
(2) If the succession or transfer or other acquisition is disputed, the Tehsildar shall, if competent under this Act or any other law for the time being in force decide such dispute according to law and if not so competent, refer the dispute to any other officer so competent for decision.

अधिनियम 1956 की धारा 135(2) यदि उत्तराधिकारी या अन्तरण या अर्जन विवादास्पद है तो तहसीलदार, यदि वह इस अधिनियम या तत्समय प्रवत्त अन्य विधि के अधीन सक्षम है ऐसे विवाद का विनिश्चय विधि के अनुसार करेगा और यदि वह इस प्रकार सक्षम नहीं है तो उस विवाद का विनिश्चय के लिए निर्देश इस प्रकार सक्षम किसी अन्य अधिकारी को कर देगा। हस्तगत प्रकरण में मुख्य तथ्य अवाप्त भूमि के संबंध में भूमि विवाद के निस्तारण की क्षेत्राधिकारिता हेतु तहसीलदार सक्षम है, अथवा नहीं ? तहसीलदार को अवाप्त भूमि को अवाप्त से मुक्त किये जाने की क्षेत्राधिकारिता प्राप्त नहीं है, एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पूर्व में अवाप्त की गई भूमि के संबंध में विवाद का निस्तारण किया गया है, जिसमें अपीलार्थी कंपनी प्रभावित पक्षकारान है, इस तथ्य को स्वयं तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.08.2012 के पृष्ठ संख्या 8 में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकारिता के परे जाकर पारित किया जाना प्रतिवेदित होता है।

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है, इसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना किये जाने में अधीनस्थ तहसीलदार निम्बाहेडा से विधिक त्रुटि कारित किया जाना जाहिर आता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णित नहीं किया गया है। निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.2012 के निर्णय में विधिक एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित होती है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निण्रय को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, एवं प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 013/2010 निर्णय दिनांक 26.12.2011 से मौजा मांगरोल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के नामान्तरकरण संख्या 2590 को निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रेकार्ड की नामान्तरकरण संख्या 2590 से पूर्व की स्थिति किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में प्रभावित पक्षकारान आराजीयात जैरबहस के संबंध में अपने हक अधिकारों के संबंध में सक्षम न्यायालय से चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत अपील अपीलार्थी कंपनी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.2012 के संबंध में अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है, एवं प्रार्थी कंपनी द्वारा तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण में दिनांक 23.07.2012 को अपना क्लेम आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरांत भी प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील हेतु प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किये जाने योग्य है, फलत् प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 016/2012(रा.अ.) अनवानी जे.के. सीमेंट वर्क्स बनाम भैरूलाल वगैराह अपील अन्तर्गत्त धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत् तहसीलदार निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.2012 को निरस्त कराये जाने हेतु प्रस्तुत अपील अपीलार्थी को स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 047/2012 निर्णय दिनांक 14.08.2012 को निरस्त किया जाता है, एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को मौजा मांगरोल तहसील निम्बाहेडा के नामान्तरकरण संख्या 2590 दिनांक 17.12.2009 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, निम्बाहेडा का अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **01.07.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official